

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की  
घोषणा


आसपुर-159 (अ. ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान  
सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक  
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण मे, मै  
घोषणा करता हु की -

श्री उमेश मीणा, मु-टांटिया पो.-गणेशपुर तहसील-आसपुर जिला-डूंगरपुर जो भारत  
आदिवासी पार्टी द्वारा खड़े किए गए है | उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन मे स्थान  
को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है |

स्थान- डूंगरपुर

दिनांक- 03-12-2023

  
रिटर्निंग अधिकारी  
(एसडीएम)

वि.नि.क्षे. आसपुर-159(अ.ज.जा.)

रिटर्निंग अधिकारी  
( एस.डी.एम. )  
वि.स.निर्वा.क्षेत्र-159 आसपुर

# Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **159-Aspur (S.T.)** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that—

Shri **UMESH MEENA** , Vill- Tantiya, Post- Ganeshpur, Teh – Aspur, Dist- Dungarpur Rajasthan 314034 sponsored by **BHARAT ADIVASI PARTY** has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place - Dungarpur

Date- 03-12-2023

  
Returning Officer.  
(SDM)  
AC Aspur-159(S.T.)

रिटर्निंग अधिकारी  
( एस.डी.एम. )  
वि.स.निर्वा.क्षेत्र-159 आसपुर